न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–श्री चावण्डदान चारण (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 165 सन् 2015
पंजीयन दिनांक 20.08.2015

1. कन्हैयालाल पिता भेरूलाल मृतक के बजाय–

   1. विमल चन्द पिता कन्हैयालाल जाति महात्मा निवासी चित्तौड़गढ़

2. रतनलाल पिता भवानीराम जाति जाट निवासी खारखन्दा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांटगण

विरूद्व

1. प्रकाश चन्द्र पिता फतेहलाल जाति महात्मा निवासी रूद तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़

2. भूमिधारी तहसीलदार राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राशमी
प्रकरण संख्या 150/2011 निर्णय एंव डिक्री दिनांक 20.06.2015

उपस्थित– 1. राजेन्द्र सिंह चौहान –अधिवक्ता अपीलान्टगण
2. चेनराम बादल–अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट–1
3. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक–रेस्पो.सं. 2

निर्णय **दिनांक 12.01.2022**

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 के विरूद्ध वादपत्र बाबत् घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा रूद तहसील राशमी की आराजी नम्बर 484,485,1746,1467/1741 कुल किता 4 कुल रकबा 14 बीघा 14 बिस्वा भूमि रेस्पोडेन्ट वादी के दादा भेरूलाल पिता नाथुलाल महात्मा के समय से चली आ रही है व यह निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट वादी के पिता फतेहलालजी वादी के दादाजी के जीवनलकाल मे ही फौत हो गये थे। कन्हैयालालजी को भेरूलालजी ने उनके जीवनकाल मे ही बाल्यावस्था मे उनके भाई शोभालाल के गोद रख दिया जिससे दावे मे वर्णित आराजीयात के किसी भी हिस्से पर अपीलान्ट प्रतिवादी का कभी कब्जा व अधिकार नही रहा है। क्योकि अपीलान्ट सं. 1 पचास वर्ष से भी अधिक समय से चित्तौड़गढ सेंती मे

निवासरत है और अपने आप को शोभालाल का गोद पुत्र बताकर मौजा सेंती की आराजी नम्बर 1596 रकबा 0.86 है0 भूमि का आंवटन भी करवाया है। व कन्हैयालालजी अपीलान्ट शोभालालजी के गोद पुत्र की हैसियत से ही जाने जाते है जिससे ग्राम रूद मे भेरूलालजी की आराजीयात मे अपीलान्ट सं. 1 का कोई हक व अधिकार नही है। फिर भी अपीलान्ट प्रतिवादी ने गलत रूप से अपना नाम राजस्व रिकार्ड मे अंकित करवा लिया है जिसको हटवाया जाने की घोषणा रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी द्वारा चाही गई। जिस पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण अपीलान्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अपीलान्ट प्रतिवादी जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए व जवाबदावा हेतु अवसर चाहा। दिनांक 27.02.2012 को जवाबदावा प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् उक्त पत्रावली दिनांक 19.03.2012 को आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 का आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसका जवाब वादी की ओर से दिया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट नम्बर 2 प्रतिवादी नम्बर 3 को पक्षकार कायम किया गया। तत्पश्चात् उक्त पत्रावली मे अग्रिम कार्यवाही जारी रहते हुए उक्त पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट मे प्रस्तुत हुई व दिनांक 20.06.2015 को रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का वादपत्र डिक्री किया जाकर रेस्पोडेन्ट वादी को उक्त आराजीयात का खातेदार घोषित किया गया।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.06.2015 से असंतुष्ट होकर प्रतिवादीगण 1 व 3 अपीलान्टगण ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।

इस न्यायालय मे अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। व पत्रावली पूर्ण होने पर वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की विधिपूर्ण बहस समायत की जाकर पत्रावली निर्णय हेतु नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट नम्बर 2 को जवाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर नही दिया। पत्रावली वास्ते जवाब हेतु नियत थी। दिनांक 20.06.2015 को अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ फिर भी बिना सुने निर्णय पारित किया है। अपनी बहस मे यह भी निवेदन किया कि अपीलान्ट सं. 1 की तरफ से जवाबदावा पेश किया गया जिस पर तनकियात कायम की जानी चाहिये थी व पक्षकारान की साक्ष्य लेकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करना चाहिये था। फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट वादी के दावे को स्वीकार कर डिक्री किया है। जिससे अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि विवादित कृषि रेस्पोडेन्ट के दादा भेरूलाल की होकर भेरूलाल के दो पुत्र फतेहलाल व

कन्हैयालाल हुए। कन्हैयालाल भेरूलालाल के भाई शोभालालजी महात्मा निवासी सेंती चित्तौड़गढ़ के बाल्यावस्था मे ही गोद चले गये थे। शोभालालजी की सम्पूर्ण विरासत उनके नाम दर्ज हुई। जिसके दस्तावेज रेस्पोडेन्ट वादी ने नकल जमाबन्दी मौजा सेंती संवत् 2052–2055 खाता सं. 409 नकल नामान्तकरण सं. 48 मौजा सेंती मिलान क्षैत्रफल मौजा सेंती प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट कन्हैयालाल शोभालालजी के गोद चले गये थे। भेरूलालजी की विरासत मे गलत नामान्तकरण स्वीकृत कराया है। नकल जमाबन्दी संवत् 2055–2058 व नकल जमाबन्दी संवत् 2034–2037 प्रस्तुत की। व रेस्पोडेन्ट वादी ने दस्तावेजी साक्ष्यो से वादपत्र को पूर्णतया स्पष्ट कराया है। अपीलान्ट का यह कथन रहा है कि अपीलान्ट की अनुपस्थिति मे निर्णय पारित किया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 20.06.2015 मे स्पष्ट अंकित किया गया है कि प्रतिवादी उपस्थित है व उक्त पत्रावली के साथ विचाराधीन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 की आदेशिका पर हस्ताक्षर किये गयें है। जो वादपत्र की पत्रावली का पार्ट है। जिससे अपीलान्ट निर्णय से सहमत रहे है। ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील खारीज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को न्यायोचित होना बताते हुए अपील अस्वीकार करने का अनुरोध किया।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की वैधानिक बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से विधिपूर्ण अवलोकन किया। व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजो का विधिपूर्ण अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे नकल जमाबन्दी नकल नामान्तकरण व नकल मिलान क्षैत्रफल मौजा सेंती तहसील चित्तौड़गढ़ मे खातेदार अपीलान्ट नम्बर 1 कन्हैयालाल पिता शोभालाल महात्मा दर्ज रिकार्ड है। व अपीलान्ट नम्बर 1 ने शोभालाल की वल्दियत से ही उक्त भूमि का शिकमी से खातेदारी का नामान्तकरण स्वीकृत कराया है। उक्त दस्तावेजो से अपीलान्ट नम्बर 1 भेरूलाल का पुत्र होकर शोभालाल के गोद जाना प्रमाणित होता है। अपीलान्ट नम्बर 1 शोभालाल के गोद चले जाने से भेरूलालजी महात्मा निवासी रूद की विरासत मे किसी प्रकार हक व अधिकार नही रखता था। फिर भी भेरूलाल के स्वर्गवास के पश्चात् अपीलान्ट नम्बर 1 ने भेरूलाल की विरासत मे भी हक व हिस्सा दर्ज करवा लिया है। जिससे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी राजस्व रिकार्ड से मौजा रूद की आराजीयात के सम्बन्ध मे घोषणा कराने का अधिकारी था फिर भी दोराने वाद अपीलान्ट नम्बर 1 ने उक्त कृषि आराजीयात राजस्व रिकार्ड मे अपने नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाते हुए उक्त आराजीयात वादपत्र के विचाराधीन रहते हुए अपीलान्ट नम्बर 2 को विक्रय की है। जिससे अपीलान्ट नम्बर 1 का विवादित कृषि आराजीयात के सम्बन्ध मे किसी प्रकार का हक व अधिकार नही होने से तथाकथित बहनामा जो अपीलान्ट नम्बर 1 ने अपीलान्ट नम्बर 2 को किया गया है। वह रेस्पोडेन्ट सं. 1 के हक व अधिकारो के सम्बन्ध मे शून्य दस्तावेज है। ऐसी स्थिति मे विद्वान अधीनस्थ विचारण न्यायालय

द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.06.2015 न्याय संगत होने से अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नही है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्टगण प्रतिवादीगण अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राशमी प्रकरण संख्या 150/2011 निर्णय व डिक्री दिनांक 20.06.2015 यथावत रखी जाती है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय व सत्यप्रति के साथ लौटायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.01.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़

(चावण्डदान चारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ

संख्यांक 9

अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री चावण्डदान चारण (आर.ए.एस.)

अपील सं. 165/2015 **/डिक्री**

① श्री ~~कन्हैयालाल पिता भेरूलाल)~~ मृतक बनाम
के बजाय :-
1/1 विमलचन्द पिता कन्हैयालाल जाति महात्मा निवासी चित्तौड़गढ़
② रतनलाल पिता भवानीराम जाट निवासी खादरखन्दा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

-अपीलान्ट

① श्री प्रकाशचन्द पिता फतेहलाल जाति महात्मा निवासी कदू तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़
② भूमिधारी तहसीलदार (राशमी) तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़

-रेस्पोडेन्ट

विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री ...उपखण्ड अधिकारी, राशमी............ दि. 20-6-2015
प्रकरण सं. ...150/2011...... अन्तर्गत धारा. 88,89,188..................रा.का.अ. 1955
निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : यह अपील दिनांक...12-1-2022 को अपीलान्ट की ओर से
अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह चौहान .... रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री चेनराम अभिभाषक रेस्पो. 1 ② [illegible] राजकीय अभिभाषक रेस्पो. 2
की उपस्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष सुनवाई के लिये आने पर यह आदेश दिया जाता है कि –

अपील अपीलान्टगण/प्रतिवादीगण अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राशमी प्रकरण संख्या 150/2011 निर्णय व डिक्री दिनांक 20-6-2015 यथावत रखी जाती है।

इस अपील के खर्चे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि.........-.................रुपये हैं, ...-...............द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्चे.......-...........................द्वारा दिये जाने हैं।

यह आज दिनांक 12-1-2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

(श्री चावण्डदान चारण (आर.ए.एस.))
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

दिनांक : 12-1-2022 **अपील खर्चे :**

अपीलान्ट	रूपये	रेस्पोडेन्ट	रूपये
1. अपील के ज्ञापन के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. आदेशिकाओं की तामील		3. आदेशिकाओं की तामील	
4. .... रू. पर प्लीडर की फीस	शून्य	4. .... रू. पर प्लीडर की फीस	शून्य
योग		योग	